फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना शमसाबाद

दिनांक - 13.07.2026

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 122/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को चोरी किये गये रूपयों व एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री युमना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 122/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त करन पुत्र बबलू गिहार उर्फ कारिया निवासी गिहार कालोनी, भोगांव थाना भोगांव जनपद मैनपुरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01. करन पुत्र बबलू गिहार उर्फ कारिया निवासी गिहार कालोनी भोगांव थाना भोगांव जनपद मैनपुरी ।

घटना का विवरण:- दिनांक 10.07.2026 को वादी श्री शीशराम पुत्र स्व0 मिश्रीलाल निवासी नैगमा थाना शमसाबाद जनपद फर्रूखाबाद की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्त द्वारा ऑटो में जेब काटकर 25000 रूपये निकाल लेने के संबंध में दी गई थी जिसके आधार पर थाना शमसाबाद पर मु0अ0सं0 122/2026 धारा 303(2) बीएनएसएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त करन उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर चोरी किये गये रूपयों व एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। माल(रूपयों) की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई तथा अवैध तमंचे व कारतूस के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 125/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त करन उपरोक्त ने पूछताछ करने पर जुर्म से इकबाल करते हुए बरामद रुपयो के बारे में बताया कि इनमे से 3000 रुपए वो हैं जो दो दिन पहले हम तीन दोस्तों मैं और राजा बाबू पुत्र नथूनी निवासी कस्बा साँड़ी जनपद हरदोई एवं शनि पुत्र नामालूम निवासी तकीपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ ने ऑटो में बैठे आदमी की जेब काट कर 25000 रुपये चुराए थे। हम तीनो ने वे रुपये बराबर-बराबर बांट लिए थे। बाक़ी रुपए मैंने अपने शौक में खर्च कर दिये,उनमे से बस यही 3000 रुपए मेरे पास बचे थे तथा पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा यह भी बताया कि हम लोगों ने कायमगंज क्षेत्र में करीम नगर गांव के पास दिनांक 16.05.2026 को भी इसी तरह एक व्यक्ति की जेब काट कर 40000 रुपये चुराए थे वह सभी रुपये भी हम लोगों ने आपस बांट लिए थे। बाकी के पैसे मैंने अपने शौक में खर्च कर दिये थे। बचे हुए रुपये आपके द्वारा बरामद कर लिये गये तथा अभियुक्त करन उपरोक्त से अवैध तमंचा व कारतूस के बारे में पूछने पर बताया कि इसे मैं अपने बचाव के लिये अपने पास रखता था। मुझसे गलती हो गयी मुझे माफ कर दो।

बरामदगी का विवरण:-

1. 3000 रुपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 122/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना शमसाबाद
2. 4000 रुपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 128/2026 धारा 303(2) बीएनएस कोतवाली कायमगंज
3. 01 तमंचा 315 बोर नाजायज व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

अभियुक्त करन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 122/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ
2. मु0अ0सं0 125/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ
3. मु0अ0सं0 128/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ
4. मु0अ0सं0 329/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ
5. मु0अ0सं0 350/2017 धारा 379/411 भादवि थाना कश्मीरी गेट मेट्रो दिल्ली
6. मु0अ0सं0 39/2019 धारा 102/379/411 भादवि थाना कश्मीरी गेट मेट्रो दिल्ली
7. मु0अ0सं0 155/2025 धारा 305 भादवि थाना लाहोरी गेट , उत्तरी दिल्ली
8. मु0अ0सं0 157/2025 धारा 106/112/303(2)/317(2)/305 बीएनएस थाना लाहोरी गेट , उत्तरी दिल्ली
9. मु0अ0सं0 696/2020 धारा 22/8 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज
10. मु0अ0स0 640/2018 धारा 41 सीआरपीसी थाना भोगाव जनपद मैनपुरी

11.मु0अ0सं0 279/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना भोगांव जनपद मैनपुरी
12.मु0अ0सं0 414/2022 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना भोगांव जनपद मैनपुरी
13.मु0अ0सं0 140/2024 धारा 323/341/504/506 भादवि थाना भोगांव जनपद मैनपुरी
14.मु0अ0सं0 604/2025 धारा 115(2)/351(2) बीएनएस थाना भोगांव जनपद मैनपुरी
15. मु0अ0सं0 742/2023 धारा 3/25 आयुध अभिनियम व 401 भादवि थाना भोगांव जनपद मैनपुरी

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री भूकेन्द्र सिंह
2. का0 तरुण कुमार
3. रि0का0 539 आदेश कुमार
4. रि0का0 1136 श्रीकृष्ण

मीडिया सेल फतेहगढ़।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

फतेहगढ़ पुलिस

* मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण *

#OperationConviction

थाना मेरापुर

दिनांक-13.07.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान व " मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण " के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त संदीप पुत्र रामप्रकाश ऊनरपुर थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ मु0अ0स0- 98/2017 वाद संख्या 36/2017 धारा 354,506 भा0द0वि0 8 पाक्सो एक्ट थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था । जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 13.07.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 12000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

एडीजीसी - श्री तेज सिंह

एडीजीसी -श्री विकास कुमार

को0 मो0- म0 का0 प्राची

पैरोकार –हे0 का0 श्याम जी

FATEHGARH POLICE

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

❖ श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तरप्रदेश द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ऑपरेशन "C-वज्र" के तहत दिनांक 13.07.2026 को पंजीकृत 03 अभियोगों में 03 साइबर अभियुक्त गिरफ्तार।

➢ थाना साइबर क्राइम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त-1.शिवनाथ पुत्र राजीव

A.मु0अ0सं0-10/2026, धारा 318(4)/317(2) BNS, 66D आइटी एक्ट।

➢ थाना राजेपुर द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त-1.अनुज चौहान पुत्र यशपाल

A.मु0अ0सं0-121/2026, धारा 318(4)/317(2) BNS व 66D IT एक्ट थाना राजेपुर।

B. मु0अ0सं0 27/25 धारा- 318(4) BNS व धारा 66 डी IT एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद फिरोजाबाद।

C. मु0अ0सं0 01/25 धारा 317(2), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) BNS,धारा 66 डी ITएक्ट थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़।

➢ कोतवाली फतेहगढ द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त-1.प्रिंस गुप्ता पुत्र प्रदीप

A.मु0अ0सं0-219/2026धारा 318(4)/317(2) BNS, 66D IT एक्ट

B. मु0अ0सं0-10/2024 धारा 420,467,468,471 IPC ,66D IT एक्ट थाना कादरीगेट

@fatehgarhpolice | Fatehgarh Police | Fatehgarh Police | Contact no- 7839856742